**संख्या:-43/2024/1049ई-2/तेरह-2024-1861993**

**प्रेषक,**

**दुर्गा सिंह**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**आबकारी आयुक्त**
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 02 दिसम्बर, 2024

**विषयः-मेसर्स श्री गुरूकृपा जी.एन.जी. प्रा.लि. ग्राम घनश्यामपुर पोस्ट अजीजपुर निगोही ब्लाक, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहॉपुर द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख ली. प्रतिवर्ष क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।**

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-71/दो-प्रा.डी.-284/श्री गुरु कृपा/ शाहजहांपुर, दिनांक 07-10-2024 तथा इस संबंध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 28-10-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:920ई-2/तेरह-2024-1861993, दिनांक 02-12-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2.** इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 07-10-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा 17 एवं 18 तथा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स श्री गुरूकृपा जी.एन.जी. प्रा.लि. ग्राम घनश्यामपुर पोस्ट अजीजपुर निगोही ब्लाक, तहसील तिलहर, जनपद शाहजहॉपुर द्वारा 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत 100 कि.ली. प्रतिदिन अनाज से एथनॉल/ई.एन.ए./ रेक्टिफाइड स्प्रिट/डिनेचर्ड स्प्रिट एवं स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का निर्माण एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवनी द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) ग्रेन से अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(6) इकाई द्वारा प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य में आबकारी व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों के प्रतिबन्धित न किये जाने के संबंध में घोषणा की जायेगी।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(दुर्गा सिंह)**
उप सचिव।

**<u>संख्या:-43/2024/1049(1)ई-2/तेरह-2024-1861993 एवं तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(दुर्गा सिंह)**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in